श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 22.07.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे संपन्न प्रशाखा– 04 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
2. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
3. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री अजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
5. श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जनसम्पर्क पदाधिकारी।
6. श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
7. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
8. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल निदेशालय।
9. श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।

I. सर्वोच्च प्राथमिकता

(1) ग्राम/नगर पंचायत में खेल क्लबों का गठन

(क) सभी ग्राम/नगर पंचायतों में अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के शेष रिक्त पदों पर चुनाव कराये जाने का निदेश दिया गया था। अबतक 38 जिलों के कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से 154 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद, 153 नगर पंचायतों में सचिव पद एवं 152 नगर पंचायतों में कोषाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में **एस0ओ0पी0** तैयार करने हेतु सचिव महोदय द्वारा निदेशक खेल को निदेशित किया गया।

(अनुपालन– श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ख) खेल क्लब को क्रियाशील बनाने के संबंधित निम्न निदेश गया–

(i) खेल क्लब में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने हेतु दिनांक–01.07.2026 से 15.08.2026 तक के लिए पोर्टल खोले दिया गया।

23.2.26

खेल क्लब में मेंबर को जोड़ने हेतु पोर्टल खोलने की सूचना का प्रचार–प्रसार प्रमुख समाचार पत्रों में किये जाने हेतु श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जनसम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(ii) सभी पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को आपस में प्रतियोगिता करने हेतु दिनांक 02.10.2026 से अगले तीन माह तक खेल क्लब उत्सव मानने हेतु कार्यक्रम तैयार करने का निदेश बि0रा0खे0प्रा0, पटना को दिया गया है तथा इस हेतु आवश्यक तैयारी करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का भी निदेश दिया गया। पंयायत स्तरीय खेल महोत्सव के उपरांत प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय पर खेल क्लब महोत्सव आयोजित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

(iii) शेष खेल क्लब को क्रियाशील करने हेतु नजदीक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक को चिन्हित कर खेल क्लब से जोड़ा जाय। यदि उक्त विद्यालय में सरकारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो निकट पंचायत के सरकारी शारीरिक शिक्षक को जोड़ा जाय।

(iv) यदि पंचायत में खेल मैदान उपलब्ध नहीं हो उसे नजदीकी पंचायत के खेल मैदान से खेल क्लब को जोड़ा जाय।

खेल क्लब से शा0 शि0 एवं खेल मैदान को जोड़कर शेष सभी जिलों से प्रतिवेदन करें।

(v) खेल क्लब को उपष्कर आदि व्यवस्था हेतु राज्य वित्त आयोग के माध्यम से करने हेतु सचिव, पंचायती राज विभाग को स्मार पत्र भेजा जाय।

(vi) जिलों में कम–से–कम 20 सक्रिय पंचायत क्लब का सूची जो विभिन्न खेलों से संबंधित हो (GPS location के साथ) की सूची एक सप्ताह में तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजा जाय साथ ही सभी खेल क्लब के कोषाध्यक्ष एवं सचिव के विस्तृत सूची, नाम एवं TAG खेल मैदानों का GPS location तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(2) ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण

(क) शेष दो जिलों यथा– अरवल में 02 एवं गया में 02 ग्राम पंचायत में खेल मैदान चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

नगर पंचायत में खेल मैदान की सूची GPS location के साथ प्राप्त करने हेतु शेष जिला के जिला खेल पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजा जाय।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाए। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी समय–समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करें। इस हेतु संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को स्मार पत्र भेजा जाय।

(ग) शेष 2878 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण हेतु पंचायतों की सूची उपलब्ध कराने के लिए प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को स्मार पत्र भेजा जाय तथा खेल मैदान निर्माण हेतु सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन– श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(3) प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार

(क) 117 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु मानक के अनुरूप भूमि प्राप्त किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित संशोधित नक्शा पर अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

(ख) प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से 81 स्टेडियम प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में हो उसकी सूची तैयार किया जाय। सूची के अवलोकनोपरांत संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक शा0 शि0 (शौचालय, पानी, विद्युत, कमरा एवं बॉन्ड्री)

निरीक्षण 15 दिनों के अन्दर करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

निर्मित खेल अवसंरचना के प्रखंड स्तरीय/जिला स्तरीय प्रबंधन समिति से संबंधित निर्गत एस0ओ0पी0 को संशोधित किया जाय।

(अनुपालन– श्री रविरंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(4) जिला स्तरीय खेल भवन–सह–व्यायामशाला

25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित सूची विभाग द्वारा तैयार किया जाय तथा बक्सर जिला हेतु जिला पदाधिकारी, बक्सर को स्मार पत्र भेजा जाय। इससे संबंधित विहित प्रपत्र में डेटा बेस तैयार किया जाय।

(अनुपालन– श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(5) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना हेतु तीन जगहों यथा– मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में चिन्हित भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र/भूमि के हस्तांतरण हेतु कृषि विभाग को स्मार पत्र भेजा जाय। प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के लिए विस्तृत कंडिकावार **Format** तैयार किया जाय।

(अनुपालन– श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(6) खेल अवसंरचना के उपयोग एवं अन्य अनुश्रवण

पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6253 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

(अनुपालन– श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(7) प्रगति यात्रा

राज्य के 13 जिलों में 14 स्थानों पर प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में राज्य स्तरीय एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि 10 स्थानों पर कार्य सुचारू रूप से संचालित है तथा 4 स्थानों पर कतिपय समस्या है। जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	जिला का नाम	निगम द्वारा परिलक्षित समस्या	सचिव द्वारा दिये गये निदेश
1.	जहानाबाद	कृषि विभाग का जमीन है। इस हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है।	भूमि की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन हेतु जिला पदाधिकारी जहानाबाद को पत्र भेजा जाय।
2.	भागलपुर	कृषि विभाग का जमीन है। इस हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है।	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र भेजा जाय।
3.	अरवल	चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण है।	इस संबंध में जिला पदाधिकारी, अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।
4.	बक्सर	उपलब्ध भूमि मात्र छः एकड़ होने के कारण अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।	6 एकड़ भूमि पर संशोधित नक्शा तैयार करने का निदेश बि०रा०भ०नि०नि०लि०, पटना को दिया गया।

(अनुपालन– श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(8) राजकीय बालिक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर में हॉकी टर्फ एवं छात्रावास नवनिर्माण/जीर्णोद्वार हेतु संचिका योजना एवं विकास विभाग को भेज कर अद्यतन स्थिति प्राप्त करें।

II. सामान्य प्राथमिकताएँ

(1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमैट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले और समय से पहले कार्यालय छोड़कर जाने वाले

पदाधिकारियो एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर संचिका में उपस्थापित की जाय। पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा समय पर कार्यालय आने–जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना

निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि0व0लि0 का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए सचिव महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

सभी प्रशाखा पदाधिकारी बैठक के पूर्व लंबित पत्रों का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

श्री अजय कुमार, अवर सचिव द्वारा प्रशाखा–04 से संबंधित लंबित पत्रों का प्रतिवेदन दिनांक–20.07.2026 (सोमवार) को उपस्थापित किया गया।

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि0व0लि0 एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव महोदय के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।

श्री अजय कुमार, अवर सचिव–04 द्वारा श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण दिनांक–20.07.2026 (सोमवार) को किया गया।

(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कोषांग को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) स्वच्छता

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी अपने टेबुल, दराज, रेक इत्यादि में संचिका सहेज कर रखेंगे एवं स्वच्छता बनाये रखेंगे।

(5) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष–2025 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है।

उपर्युक्त से संबंधित अद्यतन स्थिति के साथ श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

II. नवाचार

(1) ई–ऑफिस

दिनांक– 31.07.2026 से ई–ऑफिस के माध्यम से ही संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया, (अन्य वाह्य विभाग को जाने वाली संचिका को छोड़कर)। इस कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आई0टी0 मैनेजर से सहायता प्राप्त करेंगे।

(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ वरीय सचिवालय सहायक/ कनीय सचिवालय सहायक/उच्चवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35–40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है।

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक–सह–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में सभी पदाधिकारी/कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक में सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

(IV) समस्या/सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।

(दीपक आनन्द)
सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0–10(बैठक)–02 / 2026..2905 पटना / दिनांक–28...7/ 2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/16

सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0–10(बैठक)–02 / 2026.2905 पटना / दिनांक–28...7/ 2026

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना / कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर / निदेशक (खेल) / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा एवं योजना) / अवर सचिव (प्रशाखा पदाधिकारी–04) / आई0टी0 मैनेजर / सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.7.26

27/07/16

सचिव।